the other, to encourage them to join the mainstream of the national life provided they accept the Constitution of India and shun violence. Government have accelerated the pace of economic development in the region by making higher allocation of plan funds, undertaking several projects under the Central Sector, and treating all the seven north-eastern States as 'special category

गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत उपक्रमों/संगठनों में भ्रष्टाचार

3097. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत उपक्रमों/संगठनों में भ्रष्टाचार के समाचार प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और उनमें से कितने अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि भ्रष्टाचार और कदाचारों के आरोपों में केवल स्थानान्तरण की सजाएं दी गई हैं; और

(घ) भ्रष्ट और कादचारी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) और (ख) गृह मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे उपक्रमों/संस्थानों में भ्रष्टाचार का ऐसा कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि इस मंत्रालय के अधीन संगठनों में से एक में, पिछले तीन वर्षों के दौरान लिपिक श्रेणी के-4 कर्मचारियों द्वारा धन की हेरा-फेरी/गबन के 3 मामलों का पता लगाया गया था और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप दो कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, एक को हटा दिया गया और चौथे को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई।

(ग) और (घ) "निगरानी" एक सतत प्रक्रिया है। प्रत्येक संगठन में, भ्रष्टाचार तथा अन्य अनुशासनिक मामलों से निपटने के लिए नियम मौजूद हैं। केवल स्थानान्तरण ही दण्ड का निर्धारित स्वरूप नहीं है। यदि किसी विशिष्ट अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो नियमों में निर्धारित समुचित दण्ड दिया जाता है।

अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों में कार्मिकों द्वारा दाढ़ी का रखा जाना

3098. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों के कार्मिकों द्वारा दाढ़ी रखे जाने पर प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) प्रतिबंध हटाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये है;

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) से (ग) पुलिस ड्रिल मेन्युअल के अनुसार केन्द्र सरकार के नियंत्रण में आने वाले अर्धसैनिक बलों और अन्य पुलिस बलों में गैर-सिख कार्मिकों को सामान्यतः दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं दी जाती है। तथापि संबंधित नियंत्रण अधिकारियों से लिखित अनुरोध करने पर, अर्धसैनिक बलों में इस प्रकार के कार्मिकों को धार्मिक, परम्परागत रूप से, या चिकित्सा आधार पर दाढ़ी रखने की अनुमति दी जाती है।

तिब्बती प्रवासियों को उनके देश वापस भेजा जाना

3099. **श्री ईश दत्त:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हमारे देश में इस समय निर्वासितों के रूप में जीवन व्यतीत करने वाले तिब्बतियों को उनके देश वापस भेजने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(ख) क्या उन्हें शीघ्र उनके देश वापस भेज दिया जायेगा; यदि नहीं, तो इस मामले में विलम्ब के क्या कारण है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठाता।